



UNIQUE ORGANICS LIMITED

CIN: L24119RJ1993PLC007148

Reg. Office: E-521, Sitapura Industrial Area, Jaipur-302022 (Raj.)

Phone: +91-141-2770315/2770509

E-mail: compliance@uniqueorganics.com, Website: www.uniqueorganics.com

NOTICE

Transfer of equity shares and unclaimed/unpaid dividend of the Company to Investor Education and Protection Fund "IEPF"

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the IEPF Rules"), Dividend declared for the financial year 2013-14, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years will be transferred to the IEPF on or after 9th September, 2021 but before 21st September, 2021. The corresponding shares on which dividend was unpaid or unclaimed for seven consecutive years will also be transferred, as per procedure set out in the rules. In compliance to the IEPF rules, the Company is communicating to you being the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to the IEPF under the said IEPF Rules for taking appropriate action. The Company has also uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to the IEPF suspense account including the details of unpaid or unclaimed dividend on such shares on its website at <http://uniqueorganics.com/investor/unpaid-unclaimed-dividend/> You are requested to claim the dividend declared for the financial year 2013-14 and subsequent year dividends before the same is transferred to the IEPF.

In this connection, please note the following:

- Members holding shares in physical form: The Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original held by them for the purpose of transfer of shares to the IEPF and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificate(s) into DEMAT form and transfer in favor of the IEPF. The original share certificate(s) which are registered in the name of members will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable;
- Members holding shares in dematerialized form: The Company shall inform the depository by way of corporate action to transfer of shares in favor of the DEMAT account of the IEPF Authority.

In case, the Company does not receive any communication from the concerned members claiming unpaid/unclaimed dividend with required documents before 9th September, 2021, the Company shall in order to comply with the IEPF Rules, transfer the unpaid or unclaimed dividend to the IEPF Authority on or before September 21, 2021.

The corresponding shares on which dividend is unpaid or unclaimed for seven consecutive years, shall also be transferred without any further notice during this period.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF.

You are eligible to claim both the unpaid or unclaimed dividend and corresponding shares transferred to the IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF Authority by submitting an online application in the Form IEPF-5 available on the website at www.iepf.gov.in and sending a duly signed physical copy of the same to the Nodal Officer of the Company at its registered office along with requisite documents enumerated in the Form IEPF-5.

In case of any queries on the above matter, members are requested to contact Mr. Uttam Sharma, Director, at M/s. ABS Consultant Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company (Unit: Unique Organics Limited), at 99, Stephen House, 6th Floor, 4, B.B.D. Bag, (East) Kolkata-700001, Phone: 033-22301043, Fax: 033-22430153, e-mail: absconsultant99@gmail.com.

For Unique Organics Limited

Sd/-

Place: Jaipur

Date: 09.06.2021

Ramavtar Jangid
Company Secretary



पंजीकृत कार्यालय : ई-521, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-22 (राज.)

दूरभाष: 91-141-2770315 / 2770509 सी आई एन : L24119RJ1993PLC007148

वेबसाईट : www.uniqueorganics.com ई-मेल : compliance@uniqueorganics.com

नोटिस

कम्पनी के समता अंशो एवं बिना भुगतान/दावारहित लाभांश का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में हस्तांतरण

एतद्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष अधिकरण (लेखा, अंकेक्षण, हस्तांतरण एवं वापसी) नियम, 2016 ('आईईपीएफ नियम-') के प्रावधानों के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु घोषित लाभांश, जो सात वर्ष की अवधि से बिना भुगतान या दावा रहित है, IEPF में 09 सितंबर, 2021 के बाद किन्तु 21 सितम्बर, 2021 से पूर्व हस्तांतरित कर दिया जायेगा। सम्बद्ध समता अंश जिन पर लाभांश सात लगातार वर्षों से बिना भुगतान या दावारहित था, को भी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हस्तांतरित कर दिया जाएगा। IEPF नियमों के अनुसरण में, कम्पनी द्वारा सम्बद्ध अंशधारकों, जिनके समता अंश उक्त IEPF नियमों के अन्तर्गत IEPF में हस्तांतरित किये जाने हैं, को भी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचित किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे अंशधारकों एवं समता अंशों, जो IEPF सस्पेंस अकाउंट में हस्तांतरण योग्य हैं, का पूर्ण विवरण, ऐसे समता अंशों पर बिना भुगतान या दावारहित लाभांश के विवरण सहित, इसकी वेबसाईट <http://uniqueorganics.com/investor/unpaid-unclaimed-dividend/> पर अपलोड कर दिया गया है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2013-14 व पश्चात वर्ती लाभांशों का दावा इनके IEPF में हस्तांतरण से पूर्व करें। इस सम्बंध में, कृपया नोट करें कि :

- क) सदस्य जिनके पास समता अंश भौतिक प्रारूप में हैं रु कम्पनी द्वारा समता अंशों को IEPF में हस्तांतरित करने हेतु उनके मूल शेयर प्रमाणपत्रों की जगह डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी किये जाएंगे एवं इस प्रकार के मामले में, कम्पनी द्वारा कारपोरेट एक्शन के द्वारा डिपोजिटरी को डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्रों को DEMAT में बदलने तथा IEPF में हस्तांतरित करने हेतु सूचित किया जाएगा। मूल शेयर प्रमाणपत्र जो सदस्यों के नाम पंजीकृत हैं, वे स्वतः ही निरस्त व अपरक्राम्य माने जाएंगे।
- ख) सदस्य जिनके पास समता अंश डिमेटेरियलाइज्ड प्रारूप में हैं कम्पनी कारपोरेट एक्शन द्वारा डिपोजिटरी को समता अंशों को IEPF अधिकरण के DEMAT अकाउंट में हस्तांतरित हेतु सूचित करेगी।

यदि कंपनी को संबंधित सदस्यों से बिना भुगतान / दावारहित लाभांशों हेतु दावे आवश्यक प्रपत्रों सहित 09 सितम्बर, 2021 या इससे पूर्व में प्राप्त नहीं होते हैं, तो कम्पनी द्वारा IEPF नियमों की अनुपालना में, बिना भुगतान / दावारहित लाभांश को 21 सितम्बर, 2021 या इससे पूर्व IEPF अधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। संबंधित समता अंशों जिनका लाभांश सात निरन्तर वर्षों से बिना भुगतान / दावारहित है, को भी बिना अन्य सूचना दिये हस्तांतरित कर दिया जाएगा। कृपया नोट करें कि बिना भुगतान / दावारहित लाभांश राशि एवं को IEPF हस्तांतरित समता अंशों हेतु कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। सदस्य IEPF को हस्तांतरित बिना भुगतान / दावारहित लाभांश व संबद्ध समता अंशों, दोनों तथा ऐसे समता अंशों पर उचित सभी लाभ, यदि हों, के लिए फार्म IEPF-5 में IEPF अधिकरण को ऑनलाइन आवेदन हेतु पात्र हैं जो वेबसाईट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है एवं कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर इसके नोडल अधिकारी को उपयुक्त हस्ताक्षरित भौतिक प्रति में आवेदन, फार्म IEPF-5 में वर्णित आवश्यक प्रपत्र सहित भेज कर प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त मामले में किसी भी हेत सदस्य कृपया श्री उत्तम शर्मा निदेशक मै. ABS कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड 99 स्टीफन हाऊस, छठा माला, 4, बी.बी.डी. बाग, (पूर्व) कोलकाता-700001, (इकाई : यूनिक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड), कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेन्ट, फोन: 033-22301043, फैक्स: 033-22430153, ई-मेल : absconsultant99@gmail.com से सम्पर्क करें।

कृते यूनिक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड

ह/-

रामअवतार जाँगिड

कम्पनी सचिव

स्थान : जयपुर

दिनांक : 09.06.2021

SHANTIHOSPITALITY PRIVATE LIMITED
 Reg. Office: 327, P. 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037
 CIN: U55101DL2009PT138155
 E-mail: manpreet.kalra@shantihospitality.com

Public Notice
 Pursuant to rule 20 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 Before the Central Government
 Regional Director, Northern Region, Delhi
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of Shantihospitality Pvt Ltd having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

INDIAN TONERS & DEVELOPERS LIMITED
 Reg. Office: 10.5 Km Milestone, Rampur Barilly Road, Sector 24, Gurgaon, Haryana 122001
 CIN: LT4989199PL0015271
 E-Mail: info@indiantoners.com; Website: www.indiantoners.com
 Phone No: 0226229711 Fax No: 02262295273

NOTICE FOR LOSS OF SHARES
 Notice is hereby given that the following share certificate(s) have been reported as lost/duplicate share certificate(s) to the Registrar of Companies. The registered holder(s) has/have applied to the company for issue of duplicate share certificate(s).

PUBLIC NOTICE
 The General Public is hereby informed that the property bearing commercial shop No. GF-11 on Ground Floor, Block-C located at Anandpur Gurgaon Sector 24, Gurgaon, Haryana containing 186.87 Sq.mt. of built-up area is the Liquidation Estate of BHA Associates Private Limited under Section 36(3) of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 on which Security Interest has been created by Reliance Capital Limited.

Head Office, Security Division
 1st Floor, Plot No. 4, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

TENDER NOTICE
 Punjab National Bank is inviting applications for empanelment of service providers for operation & maintenance of Fire Fighting Systems at various multi-storied Premises of PNB in Delhi NCR. Last date for application submission is 07.07.2021 up to 02.00 PM. For details, visit our website https://pnbindia.in

Public Notice
 Inviting tender for annual maintenance contract & supply / replace / shifting of (i) Integrated Security System (ii) Fire Alarm System with Auto Dialer (iii) Fire Extinguishers (iv) CCTV (Bank's own) for the Branches of our Region. Details regarding eligibility criteria/other terms and conditions for supplying services are obtainable from our website: www.centrabankofindia.co.in. Last date of submission of tender will be on or before 30.06.2021 up to 16.00 Hrs. (Senior Regional Manager)

UNIQUE ORGANICS LIMITED
 CIN: L2411991939LC007148
 Reg. Office: E-10, Sector-13, Connaught Place, New Delhi-110028
 Phone: +91-11-27031527/27031528
 E-mail: compliance@uniqueorganics.com; Website: www.uniqueorganics.com

Transfer of equity shares and unclaimed unpaid dividend of the Company to Investor Education and Protection Fund (IPEF)
 Pursuant to rule 20 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 Before the Central Government
 Regional Director, Northern Region, Delhi
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of C & H Hotels Private Limited having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

UNIQUE ORGANICS LIMITED
 CIN: L2411991939LC007148
 Reg. Office: E-10, Sector-13, Connaught Place, New Delhi-110028
 Phone: +91-11-27031527/27031528
 E-mail: compliance@uniqueorganics.com; Website: www.uniqueorganics.com

Transfer of equity shares and unclaimed unpaid dividend of the Company to Investor Education and Protection Fund (IPEF)
 Pursuant to rule 20 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 Before the Central Government
 Regional Director, Northern Region, Delhi
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of C & H Hotels Private Limited having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

C & P PRIME HOTELS PRIVATE LIMITED
 Reg. Office: Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037
 CIN: NO. U55101DL2007PT016704
 E-Mail: info@cpprimehotels.com; Website: www.cpprimehotels.com

Public Notice
 Pursuant to rule 20 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 Before the Central Government
 Regional Director, Northern Region, Delhi
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of C & P Prime Hotels Private Limited having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

B. L. KASHYAP & SONS LIMITED
 (CIN: L7499D199BL0036148)
 Reg. Off: 402, 4th Floor, DLF Tower A, Gurgaon, New Delhi - 110025
 Ph: 42030300, 411-335845, Fax: 411-42030303
 Email: info@bklshyap.com; Website: www.bklshyap.com

Public Notice
 Notice is hereby given pursuant to Regulation 21 (1) read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 22nd day of June, 2021 to consider and approve and Consolidated financial results of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2021.

KAPIL RAJ FINANCE LIMITED
 (CIN: L69290199SL0027888)
 Registered Office: 231 F, F-1/2, Old New Anand Road, West Park, Gurgaon, New Delhi - 110026, Andhra Pradesh - 2048, Palam, Main, Jawahar Road, Outer Ring Road, Mumbai - 400077, Tel. No: 91-22-4212 5171, Email: kapraj@gnai.com

Public Notice
 Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting ("EGM") of the members of Kapil Raj Finance Limited ("Company") will be held on Wednesday, 30th June, 2021 at 11:30 A.M. through video Conferencing ("VOC") after 9:00 A.M. onwards. The Company has invited the business as set out in the notice of EGM. In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is hereby offering to transfer the Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IPEF) under Section 36(3) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 on which Security Interest has been created by Reliance Capital Limited.

C & H HOTELS PRIVATE LIMITED
 Reg. Office: 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037
 CIN: NO. U74200DL2007PT016587
 E-Mail: info@chhotels.com; Website: www.chhotels.com

Public Notice
 Pursuant to rule 20 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 Before the Central Government
 Regional Director, Northern Region, Delhi
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of C & H Hotels Private Limited having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

C & H HOTELS PRIVATE LIMITED
 Reg. Office: 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037
 CIN: NO. U74200DL2007PT016587
 E-Mail: info@chhotels.com; Website: www.chhotels.com

Public Notice
 Pursuant to rule 20 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 Before the Central Government
 Regional Director, Northern Region, Delhi
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of C & H Hotels Private Limited having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

Amrit Corp. Ltd.
 Reg. Office: CM-2/1, Sector-19, Connaught Place, New Delhi-110028
 CIN: L2411991939LC007148
 E-Mail: info@amritcorp.com; Website: www.amritcorp.com

Public Notice
 Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the "IPEF Rules"), Dividend declared for the financial year 2013-14, which was not received or claimed for a period of seven years will be transferred to the IPEF on or after 31st September, 2021 but before 21st September, 2021. The corresponding shares, if any, shall also be transferred to the IPEF on or after 31st September, 2021 but before 21st September, 2021. In the event of any shareholder who has not received or claimed for a period of seven consecutive years will also be transferred, as per procedure set out in the rules, in compliance to the IPEF Rules. The Company is communicating to you being the concerned shareholder who are the registered holder(s) of the shares of the Company in the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014.

Amrit Corp. Ltd.
 Reg. Office: CM-2/1, Sector-19, Connaught Place, New Delhi-110028
 CIN: L2411991939LC007148
 E-Mail: info@amritcorp.com; Website: www.amritcorp.com

Public Notice
 Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the "IPEF Rules"), Dividend declared for the financial year 2013-14, which was not received or claimed for a period of seven years will be transferred to the IPEF on or after 31st September, 2021 but before 21st September, 2021. The corresponding shares, if any, shall also be transferred to the IPEF on or after 31st September, 2021 but before 21st September, 2021. In the event of any shareholder who has not received or claimed for a period of seven consecutive years will also be transferred, as per procedure set out in the rules, in compliance to the IPEF Rules. The Company is communicating to you being the concerned shareholder who are the registered holder(s) of the shares of the Company in the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014.

Amrit Corp. Ltd.
 Reg. Office: CM-2/1, Sector-19, Connaught Place, New Delhi-110028
 CIN: L2411991939LC007148
 E-Mail: info@amritcorp.com; Website: www.amritcorp.com

Public Notice
 Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the "IPEF Rules"), Dividend declared for the financial year 2013-14, which was not received or claimed for a period of seven years will be transferred to the IPEF on or after 31st September, 2021 but before 21st September, 2021. The corresponding shares, if any, shall also be transferred to the IPEF on or after 31st September, 2021 but before 21st September, 2021. In the event of any shareholder who has not received or claimed for a period of seven consecutive years will also be transferred, as per procedure set out in the rules, in compliance to the IPEF Rules. The Company is communicating to you being the concerned shareholder who are the registered holder(s) of the shares of the Company in the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014.

Bella Casa Fashion & Retail Limited
 Reg. Office: E-10/103, EPF, Sector Industrial Area, Jhpin, CN-117248119990LC011522
 Tel: 011-27738454, Email: saurav@bellacasa.in, naresh@bellacasa.in, website: www.bellacasa.in

Extract of Unaudited/Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2021
 (Rs in lacs except for EPS)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended		
		31-03-2021 (Unaudited)	31-12-2020 (Unaudited)	31-03-2020 (Unaudited)	31-03-2021 (Audited)	31-03-2020 (Audited)
1.	Total Income from Operations	5,009.33	3,368.50	3,556.97	12,941.34	16,350.37
2.	Net Profit for the period before Tax, Exceptional and Other Extraordinary Items	2,059.72	521.59	1,115.12	735.32	1,213.59
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Other Extraordinary Items)	259.72	521.59	115.12	735.32	1,210.59
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Other Extraordinary Items)	187.89	400.36	96.99	540.19	913.07
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period after tax and other comprehensive Income (after tax))	199.70	400.36	99.69	552.21	915.78
6.	Equity Share Capital	1,147.50	1,147.50	1,147.50	1,147.50	1,147.50
7.	Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	1.74	3.49	0.87	4.81	7.98
2.	Diluted	1.74	3.49	0.87	4.81	7.98

Bella Casa Fashion & Retail Limited
 Reg. Office: E-10/103, EPF, Sector Industrial Area, Jhpin, CN-117248119990LC011522
 Tel: 011-27738454, Email: saurav@bellacasa.in, naresh@bellacasa.in, website: www.bellacasa.in

Extract of Unaudited/Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2021
 (Rs in lacs except for EPS)

Bella Casa Fashion & Retail Limited
 Reg. Office: E-10/103, EPF, Sector Industrial Area, Jhpin, CN-117248119990LC011522
 Tel: 011-27738454, Email: saurav@bellacasa.in, naresh@bellacasa.in, website: www.bellacasa.in

Extract of Unaudited/Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2021
 (Rs in lacs except for EPS)

Bella Casa Fashion & Retail Limited
 Reg. Office: E-10/103, EPF, Sector Industrial Area, Jhpin, CN-117248119990LC011522
 Tel: 011-27738454, Email: saurav@bellacasa.in, naresh@bellacasa.in, website: www.bellacasa.in

Extract of Unaudited/Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2021
 (Rs in lacs except for EPS)

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of section 13 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 In the matter of SAURABH CLEAN TECH PRIVATE LIMITED having its registered office at 327, Plot 9, Samalkha, N-8, New Delhi-110037

संक्षिप्त समाचार

राजस्व मंत्री ने बायटू व गिड़ा ब्लॉक के पीईईओ से किया वर्चुअल संवाद

जयपुर। राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने मंगलवार को जयपुर से बायटू उपखण्ड के पीईईओ से वर्चुअल संवाद कर अधिकाधिक टीकाकरण के लिए आमजन को प्रेरित करने के निर्देश दिए। राजस्व मंत्री श्री चौधरी ने दोनों ब्लॉकों के पीईईओ से संवाद करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सिनेशन को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ हैं, जिन्हें दूर करने के लिए चिकित्सकमी एवं जागरूक युवा ग्रामीणों को घर-घर जाकर टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आगे आए हैं, वे स्थानीय भाषा में लोगों से जनसंपर्क कर टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने में अपना योगदान दें। वर्चुअल वार्ता के दौरान राजस्व मंत्री ने कहा कि जिन्होंने टीका नहीं लगावाया है, उन्हें टीकाकरण की महत्वता व लाभों के बारे में उन्हें सूचित करें, जिससे उनमें विश्वास जागृत हो। इस दौरान राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना के संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामलों में विगत कुछ दिनों से कमी आई है परन्तु अभी भी पूर्ण सतर्कता की आवश्यकता है। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को क्षेत्र में वैक्सिनेशन के प्रति जागरूकता द्वारा अधिकाधिक लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मनरेगा एवं इंदिरा आवास योजना का होगा सामाजिक अंकेक्षण

अजमेर। राजस्थान में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) तथा इंदिरा आवास योजना का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाएगा। अजमेर जिला परिषद सूत्रों के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने मनरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत मनरेगा तथा इंदिरा आवास में कराए कार्यों की सामाजिक उपयोगिता एवं व्यय पर सामाजिक अंकेक्षण कराने के आदेश दिए हैं। इस काम के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जल्द ही ग्राम पंचायतों में अधिकारी नियुक्त करेंगे और सामाजिक अंकेक्षण की सूचना तैयार कर जिला परिषद कार्यालय को सौंपेंगे। सूत्रों ने बताया कि ग्राम सभा की मॉनिटरिंग के लिए भी शीघ्र ही जिले की 237 ग्राम पंचायतों में अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। वे अपनी पूरी रिपोर्ट बनाकर अगले दिन ही जिला परिषद कार्यालय को सौंपेंगे।

राज्य सरकार ने चुनौतियों के बीच जनता को दी विकास की सौगात : कल्ला

जयपुर। राजस्थान के जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कोविड की चुनौतियों के बीच जनसेवा को अपना लक्ष्य बनाते हुए प्रदेश को निरंतर विकास की सौगात दी है। डा कल्ला ने आज यहां वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में उल्लेखनीय विकास कार्यों पर आभारित विकास पुस्तिका 'प्रगति के पथ पर राजस्थान' का विमोचन करते हुये यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हुआ है। सूरतगढ़ और खड्गढ़ में 660-660 मेगावाट को दो इकाईयों की स्थापना की गई है। सूरतगढ़ में जल्द ही 660 मेगावाट की एक और इकाई की स्थापना होने जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क एवं पेयजल योजनाओं के विकास, नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, सर्वाधिक डिग्री कॉलेज का खुलना, जनता क्लिनिक, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार एवं कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण तथा किसानों और व्यापारियों के लिए योजनाओं सहित सर्वांगीण विकास के कार्य हुए हैं।

सरिस्का में बाघों की मॉनिटरिंग टीमो को दी 23 मोटरसाईकिले

अलवर। सरिस्का मुख्यालय पर फाउंडेशन द्वारा आज सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा एवं मॉनिटरिंग और उनके बेहतर प्रबंधन के लिए सरिस्का में जितनी बाघों की संख्या है उनकी संख्या के अनुसंधान ही टाइगर मॉनिटरिंग टीमों को 23 मोटरसाईकिल दी गई जिससे सरिस्का की रफ्तार अब तेजी से पकड़ने लगेगी। वन्यजीवों की देखभाल में भी आसानी रहेगी जिसमें वन कर्मचारीयों द्वारा मॉनिटरिंग और भी आसानी से हो सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि सरिस्का में स्थित गांव में विस्थापन को भी लेकर रफ्तार पकड़ रहा है और धीरे-धीरे बाघों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है जिसको लेकर बाघों की मॉनिटरिंग में आसानी रहेगी। इससे पूर्व कार्यक्रम से पहले वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया गया जिसमें अधिकारियों ने पीपल बरसाद का पेड़ लगाया।

अनलॉक : गर्मी के वावजूद बाजारों में उमड़ रहे लोग हुए बेपरवाह

सवाई माधोपुर। कोरोना के नए केस कम होने पर लोकडाउन में जैसे-जैसे छूट दी जा रही है, वैसे ही शहर के बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर अनलॉक-2 के तहत खुले बाजारों में अब भीड़ उमड़ने लगी है। इसी के साथ लोग कोरोना गड़बड़लाइन का जमकर उल्लंघन भी कर रहे हैं। अनलॉक-2 के दूसरे दिन बुधवार बाजार और अनुमति प्राप्त एक्टिविटी शुरू होते ही लोगों की ओर से लापरवाही बरतने के मामले सामने आने लगे हैं। जिला मुख्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बाजारों के साथ भीड़ शहर के खेल मैदानों पार्कों में भी देखी जा गयी। जनता से लगातार अपील की जा रही है। प्रशासन लोगों को बार-बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाइश कर रहा है, लेकिन लोगों की ओर से इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। जिला मुख्यालय के बाजारों के साथ खेल मैदानों में भी अब बच्चों-युवाओं भीड़ उमड़ पड़ी है।

दौसा जिला स्तर पर टॉप-10 में शामिल दो ईनामी अपराधियों को किया गिरफ्तार

दौसा। राजस्थान में दौसा जिला पुलिस ने रेन्ज एवं जिला स्तर पर टॉप-10 में शामिल दो ईनामी अपराधियों को आज गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार अभियुक्त पैप्टर उर्फ इरसाव निवासी जिला नूह मेवात हरियाणा साल 2017 से तथा नेत राम गुर्जर निवासी खेडली गुर्जर थाना सदर हिण्डैन साल 2016 से फरार चल रहा था। जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि आरोपीला पैप्टर उर्फ इरसाव थाना बसवा में दर्ज आर्मस् एक्ट के मामले में साल 2017 से फरार था, जिसे रेन्ज स्तर पर कर टॉप-10 अपराधियों में शामिल किया गया। इसी प्रकार नेत राम गुर्जर थाना सलेमपुर में दर्ज पोक्सो एक्ट में साल 2016 से फरार था, जिसे जिला स्तर पर टॉप-10 अपराधियों में शामिल किया गया था। पिछले एक महीने में दौसा पुलिस चार जिला स्तर के टॉप-10 ईनामी अपराधी व रेन्ज स्तर के एक टॉप-10 ईनामी अपराधी को गिरफ्तार कर चुकी है।

प्रदेश में डेयरी क्षेत्र का हो बड़े पैमाने पर विस्तार : गहलोत

जयपुर/एजेंसी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि कृषि के साथ-साथ पशुपालन गतिविधियों का हमारी अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। राजस्थान में इस क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बजट में पशुपालन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने का प्रयास किया जाए, ताकि इस क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा और बढ़े तथा किसानों एवं पशुपालकों की आय में भी वृद्धि हो। श्री गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पशुपालन, गोपालन विभाग तथा राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे पिछले कार्यकाल में हमने मूक पशुओं की पोड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री पशुधन निशुल्क दवा योजना शुरू की थी। अब गांव-ढाणी तक पशुधन के लिए चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेशभर में चरणबद्ध रूप से 1478 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जा रहे हैं तथा 200 पशु चिकित्सा उप केंद्रों में 198 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन बजट घोषणाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि



राजस्थान में पशुधन की बहुलता को देखते हुए डेयरी के विकास की बड़ी संभावनाएं छिपी हुई हैं। राज्य में अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे गांव हैं, जो अब तक संगठित रूप से डेयरी सेक्टर से नहीं जुड़ पाए हैं। आरसीडीएफ इन क्षेत्रों को जोड़कर सरस डेयरी का विस्तार करे। उन्होंने कहा कि कृषि की तरह ही डेयरी में भी प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही, डेयरी उत्पादों की श्रृंखला का बड़े पैमाने पर विस्तार कर इनकी प्रभावी मार्केटिंग पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह एक ?सा सेक्टर है, जिसके जरिए रोजगार के बड़े अवसर सृजित किए जा सकते हैं और किसानों एवं पशुपालकों की समृद्धि को बढ़ाने में यह महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। श्री गहलोत ने निर्देश दिए कि प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर नए डेयरी बूथों के आवंटन को गति दी जाए। अगले दो माह में अधिकाधिक डेयरी बूथों का आवंटन हो। उन्होंने कहा कि कोविड की इन विषम परिस्थितियों में रोजगार को दृष्टि से ये डेयरी बूथ लोगों के लिए आजीविका का माध्यम बन सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेयरी बूथों के माध्यम से लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही प्रदेश में डेयरी क्षेत्र का फैलाव करने में भी मदद मिलेगी। श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में गौशाला की उन्नत नस्लों के संरक्षण एवं संवर्द्धन पर विशेष जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गौशालाओं को दिए जाने वाले

अनुदान की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इससे गौशालाओं को सहायता राशि जल्द से जल्द उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में गौशाला के संरक्षण के लिए माकूल इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने कहा कि प्रदेश में गांव-ढाणी तक पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा देने और पशु चिकित्सा की सुविधा के लिए पशु चिकित्सा उपकेंद्र एवं पशु चिकित्सालय खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थायी रूप से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक पशु चिकित्सा कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए अर्जेंट टेम्परी बेसिस पर सेनाएं लेने के लिए प्रयास किया जा रहा है। गोपालन मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि प्रदेश में गौशालाओं के सुदृढीकरण के लिए विभाग पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय विभाग तथा सहकारिता विभाग के साथ समन्वय कर डेयरी बूथों के विस्तार के काम को गति देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कांग्रेस की हकीकत जनता के सामने : डॉ. सतीश पूर्निया

जयपुर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूर्निया ने कहा है कि कांग्रेस के भीतर चल रहे झगड़े और अंतर्कलह का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा को दोषी ठहराया था लेकिन आज हकीकत प्रदेश की जनता के सामने हैड ड पूर्निया ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बयान हमसे किए गए वादे दस महीने बाद भी पूरे नहीं पर मीडिया से आज यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घर का झगड़ा है, हमें चिंता इस बात की है कि इस झगड़े से राजस्थान की जनता का अहित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की अपने डील थी कि समिति बनी, उनके प्रभारी ने तय किया, मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, बोर्ड ऑफ़ोरेसंस में नियुक्तियां होनी थी, इस तरीके को तमाम चीजें थी।

युवा शक्ति फाउंडेशन बदनपुरा की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान



जयपुर/ब्यूरो। कोरोना महामारी के इस विकट स्थिति में हवामहल विधानसभा क्षेत्र बदनपुरा वार्ड क्रमांक 21 लाल प्याऊ स्थित कोरोनावायरस आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वार्ड क्रमांक 21 पार्षद श्रीमती अनीता जी जैन। जल महल मंडल के पूर्व अध्यक्ष चिमन लाल जी सेनी। जल महल मंडल मंत्री अमित जी पारीक वार्ड अध्यक्ष पप्पू जी जहानी जल महल मंडल महामंत्री शुभम जी शर्मा। बुध अध्यक्ष उमेश जी शर्मा धर्म रक्षा समिति अध्यक्ष योगा टीचर सरोज शर्मा। विनोद कुमार जी गुप्ता डांगरवाड़ा प्रदीप जी खंडेलवाल खेल शंकर जी। एवं समस्त युवा शक्ति फाउंडेशन गुप के सदस्य

भाजपा प्रदेश मुख्यालय के मुख्य होर्डिंग से वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ गायब


जयपुर/एजेंसी। राजस्थान भाजपा में नेताओं की खेमेबंदी और खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। भाजपा में अब पोस्टर-होर्डिंग्स पॉलिटिक्स सामने आई हैं। प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर लगाए गए मुख्य होर्डिंग से अब पूर्व छ्रू वसुंधरा राजे और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के फोटो गायब हैं। नए बनकर आए पोस्टर में बाई तरफ ब्रहू नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दाई तरफ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूर्निया और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के फोटो हैं। पार्टी मुख्यालय पर इससे पहले के मुख्य होर्डिंग में सतीश पूर्निया, गुलाबचंद कटारिया के साथ पूर्व छ्रूवसुंधरा राजे और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के फोटो थे। राष्ट्रीय नेताओं में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री



अमित शाह और जेपी नड्डा थे। नए पोस्टर में अमित शाह का फोटो भी गायब है। 13 अप्रैल को करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुख्यालय के मुख्य होर्डिंग में गुलाबचंद कटारिया की फोटो पर स्याही पोत दी थी। उपचुनाव प्रचार के दौरान कटारिया ने महाराणा प्रताप के बारे में टिप्पणियां की थीं, जिनके विरोध में कटारिया के फोटो पर कालिख पोती थी। 13 अप्रैल को स्याही पोतने से खराब

प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री या नेता प्रतिपक्ष के ही फोटो लगे। इस नए फॉर्मेट के तहत ही पार्टी मुख्यालय के बाहर केवल प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के फोटो लगाए हैं। भाजपा ने होर्डिंग का भले नया पैटर्न अपनाया हो, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का फोटो गायब करने की सियासी हलकों में चर्चाएं खूब हैं। सियासी हलकों में इसे वसुंधरा राजे और विरोधी खेमे के बीच की खींचतान से ही जोड़कर देखा जा रहा है। कोरोना के कारण भाजपा के प्रदेश कार्यालय में अभी ज्यादा आवाजाही नहीं है। कल जयपुर ग्रेटर मेयर सीम्या गुर्जर को सस्पेंड करने के खिलाफ प्रदेश मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन रखा था तब पदाधिकारी जरूर आए।

राजस्थान की नहरों में प्रदूषित जल की समस्या मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ने पंजाब के अधिकारियों से की वार्ता



जयपुर/एजेंसी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी नहर, गंगनहर एवं भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में पंजाब से आ रहे दूषित जल पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य को इस समस्या के समाधान के लिए पंजाब सरकार के उच्चाधिकारियों से वार्ता करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदूषित पानी के पंजाब से राजस्थान में प्रवाहित होने का विषय मुख्यमंत्री ने 25 जुलाई 2019 को अपने चंडीगढ़ प्रवास के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री के समक्ष रखा था और पंजाब सरकार ने सतलुज नदी में मिलने वाले घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट को समयबद्ध तरीके से ट्रीट करने के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। इसी परिपेक्ष्य में श्री

ट्रिव्यूनल के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए पंजाब के अधिकारियों से इस मामले में उचित कार्यवाही कर प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करने का अनुरोध किया है। सचिव को अवगत कराया है कि शोभा सिंह बनाम पंजाब सरकार प्रकरण में एनजीटी ने 20 जनवरी 2021 को पंजाब सरकार को सतलुज एवं ब्यास नदियों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए सख्त एवं प्रभावी कदम उठाने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दे रखे हैं।

कोरोना से जान गंवाने वाले घूमंतु परिवार के व्यक्ति का शव रेगिस्तान में दफनाया



बिकानेर/एजेंसी। कोरोना से मौत होने पर गंगा नदी में शव फेंकने का मामला सामने आने के बाद अतिरिक्त मंत्रियों ने रेत के धोरों में शव छिपा देने जैसी हदय विदारक घटना सामने आई है। यहां एक 42 साल के युवक की कोरोना से मौत हुई तो परिजनों ने अंतिम संस्कार करने के बजाय नाल के पास मिट्टी के धोरों में शव दफना दिया। मामला 15 दिन बाद तब सामने आया, जब शव के ऊपर से मिट्टी उड़ गई। एक राहगीर ने इसकी सूचना गांव की सरपंच को दी, तो पुलिस ने हत्या का मामला समझते हुए जांच शुरू की। दरअसल, एक घूमंतु परिवार के राजेंद्र सिंह उर्फ राघवेंद्र (45) को पिछले दिनों कोरोना हो गया।

उसे PBM अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 24 मई को उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने प्लास्टिक की थैली में लपेटकर शव परिजनों को सौंप दिया। मूल रूप से करौली के रामपुर धावाई के रहने वाले इस परिवार के सदस्यों ने नाल गांव में रेत के धोरों में राघवेंद्र सिंह के शव को दफना दिया। कोरोना से मौत

के कारण शव को गांव ले जाने से कतरा रहे इस परिवार ने इसी तरह अंतिम संस्कार करना उचित समझा। दफन करने के लिए जो गड्ढा खोदा गया वो ज्यादा गहरा नहीं था। पिछले दिनों चले अंधड़ के कारण मिट्टी हटती चली गई और शव बाहर आ गया। एक राहगीर ने यह शव देखा तो नाल गांव की सरपंच तुलसी देवी व उनके परिजनों को सूचना दी। मामला पुलिस थाने पहुंचा कि एक युवक का शव पड़ा है। प्रथम दृष्टया इसे हत्या माना गया। शव को बाहर निकाला तो एक हाथ में कैलूना लगा था और अंगूठे पर टूट भी लगा हुआ था। इधममें मुटग का नाम और PBM अस्पताल की जानकारी थी। नाल पुलिस ने PBM अस्पताल में छानबीन की तो पता चला कि शव राजेंद्र सिंह का है और 24 मई को ही उसकी मौत हो गई थी। अस्पताल के रिपोर्ट के आधार पर राघवेंद्र के परिजनों तक पुलिस पहुंची तो सारा मामला स्पष्ट हुआ। बताया गया कि कोरोना से मौत होने से शव गांव में लेकर नहीं आए।

लड़की भगाने के आरोपी को जंजीरों से जकड़कर महिलाओं के कापड़े, वीडियो वायरल



सीकर/एजेंसी। जिले में लड़की भगाने के आरोप में एक नाबालिग (15 वर्ष) को जंजीरों में जकड़कर रखने का मामला सामने आया है। सजा के तौर पर उसे चूड़ियां और महिलाओं के कापड़े पहनाए। उसका मेकअप करके वीडियो बनाया और वायरल कर दिया गया।

वीडियो वायरल होने पर लोगों ने सोशल मीडिया पर उसे देखा तो परिजनों को घटना का पता लगा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग को तलाश तो वह खादश्यामजी में मिल गया। थानाधिकारी बृजेश सिंह तंत्र ने बताया कि सांगरिया में प्याज खोदने का काम करने वाले युवक ने बताया कि 2 जून उसके छोटे भाई को कुछ लोग किशोपुरा की दुर्गा पाटन में ले गए थे। युवक सारंगरल का फोन आया कि तेरा भाई समाज की एक लड़की को भगा ले गया था। उसे पकड़ रखा है।

यूनिक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : ई-521, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-22 (राज.)
 दूरभाष: 91-141-2770315/2770509 सी आई एन : L24119R/1993LC007148
 वेबसाईट : www.uniqueorganics.com ई-मेल : compliance@uniqueorganics.com

गोपनीयता
कम्पनी को समता अंशों एवं बिना भुगतान/दावारहित लाभों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में हस्तांतरित
 एतद्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष अधिकरण (लेखा, अंकेक्षण, हस्तांतरण एवं वापसी) नियम, 2016 (आईसीएफ नियम-2) के प्रावधानों के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु घोषित लाभों, जो सतत वर्ष की अवधि से बिना भुगतान या दावा रहित हैं, IEPF में 09 सितंबर, 2021 के बाद किन्तु 21 सितंबर, 2021 से पूर्व हस्तांतरित कर दिया जायेगा। सम्बद्ध समता अंश जिन पर लाभों का सतत लगातार वर्षों से बिना भुगतान या दावारहित था, को भी निवेशक शिक्षा के अनुसार हस्तांतरित कर दिया जाएगा। IEPF नियमों के अनुसार सभी कम्पनी द्वारा सम्बद्ध अंशधारकों, जिनके समता अंश उक्त IEPF नियमों के अन्तर्गत IEPF में हस्तांतरित किये जाते हैं, को भी आवश्यक कार्यावाही करने हेतु सूचित किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे अंशधारकों एवं समता अंशों, जो IEPF सर्वसंग्रह अकाउंट में हस्तांतरण योग्य हैं, का पूर्ण विवरण, ऐसे समता अंशों पर बिना भुगतान या दावारहित लाभों के विवरण सहित, इसकी वेबसाईट <http://uniqueorganics.com/investor/unpaid-unclaimed-dividend/> पर अपलोड कर दिया गया है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2013-14 व परवर्ती वर्षों के लाभों का दावा इनके IEPF में हस्तांतरण से पूर्व करें। इस संबंध में, कृपया नोट करें कि:

(क) सदस्य जिनके पास समता अंश भौतिक प्रारूप में हैं व कम्पनी द्वारा समता अंशों को IEPF में हस्तांतरित करने हेतु उनके मूल शेयर प्रमाणपत्रों की जगह डुब्लिकेट प्रमाणपत्र जारी किये जायेंगे एवं इस प्रकार के मामले में, कम्पनी द्वारा कारपोरेट एक्शन के द्वारा डिपोजिटरी को डुब्लिकेट शेयर प्रमाण पत्रों को DEMAT में बदलने तथा IEPF में हस्तांतरित करने हेतु सूचित किया जाएगा। मूल शेयर प्रमाणपत्र जो सदस्यों के नाम पंजीकृत हैं, वे स्वतः ही निरस्त व अपरक्राम्य माने जायेंगे।

(ख) सदस्य जिनके पास समता अंश डिजिटल/डिजिटल प्रारूप में हैं व कम्पनी कारपोरेट एक्शन द्वारा डिपोजिटरी को समता अंशों को IEPF अधिकरण के DEMAT अकाउंट में हस्तांतरित हेतु सूचित करेगी।

गति कम्पनी को संबंधित सदस्यों से बिना भुगतान / दावारहित लाभों हेतु दावे आवश्यक प्रपत्रों सहित 09 सितंबर, 2021 या इससे पूर्व में प्राप्त नहीं होते हैं, तो कम्पनी द्वारा IEPF नियमों की अनुपालना में, बिना भुगतान / दावारहित लाभों को 21 सितंबर, 2021 या इससे पूर्व IEPF अधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। निवेशक समता अंशों जिनका मतलब सतत निरस्त वर्षों से बिना भुगतान / दावारहित है, को भी बिना सूचना दिये हस्तांतरित कर दिया जाएगा। कृपया नोट करें कि बिना भुगतान / दावारहित लाभों राशि एवं को IEPF हस्तांतरित समता अंशों हेतु कम्पनी को विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। सदस्य IEPF को हस्तांतरित बिना भुगतान / दावारहित लाभों व संबंध समता अंशों, दोनों तथा ऐसे समता अंशों पर उचित सभी लाभ, यदि हों, के लिए फॉर्म IEPF-5 में IEPF अधिकरण को ऑनलाइन आवेदन हेतु पात्र हैं जो वेबसाईट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है एवं कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर इसके नोडल अधिकारी को उपयुक्त हस्ताक्षरित भौतिक प्रतियों में आवेदन, फॉर्म IEPF-5 में वर्णित आवश्यक प्रपत्र सहित भेज कर प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त मामले में किसी भी हेतु सदस्य कृपया श्री उत्तम शर्मा निदेशक नं. ABS कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड 99 स्ट्रीटफोन हाऊस, छठा माला, 4, बी.डी.डी. बाग, (पूर्व) कोलकाता-700001, (इकाई) : यूनिक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड), कम्पनी के सॉल्यूटिवर व शेयर ट्रांसफर एजेंट, फोन: 033-22301043, फैक्स: 033-22430153, ई-मेल : absconsultant99@gmail.com से संपर्क करें।

कृते यूनिक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
 सचिव/आर जॉयिंड
 कम्पनी सचिव

स्थान : जयपुर
 दिनांक : 09.06.2021